प्रकरण संख्या 16/2019 मांगीलाल बनाम श्रीमती हुडीबाई

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.09.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मादड़ी पुरोहितान में खाता संख्या 116 कुल किता 17 रकबा 2.6400 हैक्टर एवं खाता संख्या 66 कुल किता 2 रकबा 0.2950 हैक्टर भूमि श्री नन्दा पिता गमाना डांगी के नाम 1/2 हिस्सा एवं मांगीलाल पिता नाना डांगी, श्रीमती कंकूबाई बेवा नाना डांगी एवं श्रीमती धापू बेवा माना डांगी के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज है। मूल पुरूष नाना जी थे, जिसकी मृत्यु के उपरान्त वादग्रस्त भूमि नन्दा, मांगीलाल व कंकूबाई के नाम दर्ज हो गयी, जबकि वादीगण भी नाना के वारिसान होकर उनका अपने हिस्से की आराजियात पर कब्जा चला आ रहा है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण प्रत्येक को 1/10, 1/10 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 19.07.2010 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे विरूद्ध हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 केसीबाई द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गयी जो न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 12.08.2015 को स्वीकार की जाकर प्रकरण अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 को सुनवाई का अवसर देकर तथा अन्य सभी प्रतिवादीगण को भी साक्ष्य सबूत का अवसर देकर निये सिरे से निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। प्रकरण रिमाण्ड होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिनस्थ न्यायालय में केसीबाई द्वारा धारा 144 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.08.2019 से स्वीकार किया गया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 13.11.2019 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण व प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है, जिसकी प्रथम बार जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 07.11.2019 को हुई। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी अपील मीमों एवं में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.01 13:48:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय की पालना नहीं की है, न गवाह प्रस्तुत हुए, न दस्तावेज प्रस्तुत हुए केवल एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जा.दी. के तहत पेश करना बताकर निर्णय पारित कर दिया है, जो त्रुटि पूर्ण है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 केसीबाई ने अधिनस्थ न्यायालय में तथ्यों को छुपाते हुए धारा 144 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.07.2010 की पालना में श्रीमती केसीबाई को 1/10 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया। उसके बाद केसीबाई ने अपना 1/10 सम्पूर्ण हिस्सा अपने पत्र रमेश के पक्ष में रजिस्टर्ड रिलीज डीड कर दिया, जिसका नामान्तरकरण जमाबन्दी में अंकित हुआ। अर्थात केसीबाई का सम्पूर्ण हिस्सा रिलीज हो चुका है। ऐसी स्थिति में उसे धारा 144 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली को देखे बिना तथा बिना साक्ष्य सबूत व गवाहों के परीक्षण के निर्णय पारित कर दिया। अपीलान्ट मांगीलाल के हक में हुड़ीबाई, धापूबाई व तुलसीबाई ने अपना 1/10, 1/10 हिस्सा रिलीज डीड कर दिया है। इस प्रकार अपीलान्ट का विवादित आराजियात में 4/10 हिस्सा है, लेकिन इन तथ्यों को छुपाते हुए केसीबाई ने धारा 144 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करने में भारी भूल की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेशों की पालना नहीं की गयी है तथा प्रतिवादीगण से बिना साक्ष्य सबूत लिये मात्र केसीबाई द्वारा प्रस्तुत धारा 144 जा.दी. के आधार पर प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया है, जो प्रथम दृष्टया न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.08.2019 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 12.08.2015 को दिये गये निर्देशों की पालना करते हुए पक्षकारों से साक्ष्य सबूत लेकर एवं उन्हें सुनकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.11.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

(अनिता मीना)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.01 13:48:11 IST
Reason: SelfAttested